

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 44/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/68)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

- |  |  |
|--|--|
| 1. जगमेल सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाकलां तहसील श्री करनपुर     | 1. हरजिन्द्र सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाकलां तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। |
| 2. अमरजीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाकलां तहसील श्री करनपुर   | 2. जसमहेन्द्र सिंह पुत्र मोहकम सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाकलां तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। |
| 3. महेन्द्र सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाकलां तहसील श्री करनपुर | 3. जगजीत सिंह पुत्र मोहकम सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाकलां तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।      |
| 4. जसवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाकलां तहसील श्री करनपुर   | 4. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।                                    |
| 5. मोकम सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाकलां तहसील श्री करनपुर     |  |

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 22.03.2022

उपस्थित: 1. श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

2. श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

—निर्णय—

दिनांक: 14.03.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 आर, पटवार हल्का मोहलां, भू-अभिलेख निरीक्षक, मलकाना-कलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में स्थित जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 24/23, 56/45, 89/79, 90/80, 123/13, 124/58 व चक 14 एच, पटवार हल्का मलकाना-कलां भू-अभिलेख निरीक्षक, मलकाना-कलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में स्थित जमाबंदी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 47/1 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में कृषि भूमि दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि हमारे पूर्वजों ने परिवार की संयुक्त आय से खरीद कर, हम पक्षकारान के नाम से अलग अलग दर्ज करवा दी थी। अब कई वर्ष पूर्व हम पक्षकारान ने अपने-अपने हिस्सा में आने वाली कृषि भूमि का आपसी पारिवारिक सहमति से घरू बंटवारा कर रखा है और उसी अनुरूप सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काफी समय से शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे हैं। वर्तमान में पक्षकारान के परिवार काफी बढ़ चुके हैं तथा आने वाली पीढ़ियों में कोई मनमुटाव या बंटवारा को लेकर विवाद न हो, इस कारण हम पक्षकारान ने पारिवारिक सहमति से अपने हिस्सा में आई भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया हुआ है :- जगमेल सिंह पुत्र अमरजीत सिंह वादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि :- चक 3 आर के खाता संख्या 90/80 में 1.446 हैक्टर। चक 3 आर के खाता संख्या 24/23 में 1.265 हैक्टर। कुल रकबा 2.711 हैक्टर नहरी भूमि मय खाला। अमरजीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह- वादी संख्या 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि :- चक 3 आर के खाता संख्या 56/45 में 2.372 हैक्टर। चक 3 आर के खाता संख्या 123/13 में 0.263 हैक्टर। चक 14 एच के खाता संख्या 47/1 में 1.012 हैक्टर। कुल रकबा 3.647 हैक्टर नहरी भूमि मय खाला। इस प्रकार से वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 के नाम कुल 6.358 हैक्टर नहरी भूमि प्राप्त हुयी है, जिसका कब्जा वादी संख्या 1 जगमेल सिंह वादी संख्या 2 अमरजीत सिंह को संयुक्त रूप से चक 3 आर के खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा नं0 47 के किला नं0 1 से 25 की 6.325 हैक्टर नहरी कृषि व चक 3 आर के खाता संख्या 56/45 में मुरब्बा नं0 48 के किला नं0 23 में 0.038 हैक्टर कुल 6.363 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। महेन्द्र सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह वादी संख्या 3 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

नाम दर्ज कृषि भूमि :-चक 3 आर के खाता संख्या 56/45 में 2.372 हैक्टर नहरी। चक 3 आर के खाता संख्या 123/13 में 0.262 हैक्टर नहरी। चक 3 आर के खाता संख्या 124/58 में 1.265 हैक्टर नहरी। कुल रकबा 3.899 हैक्टर नहरी भूमि मय खाला। जसवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह वादी संख्या 4 के नाम दर्ज कृषि भूमि :-चक 3 आर के खाता संख्या 90/80 में 1.716 हैक्टर नहरी। चक 3 आर के खाता संख्या 24/23 में 0.696 हैक्टर नहरी। कुल रकबा 2.412 हैक्टर नहरी भूमि मय खाला। हरजिन्द्र सिंह पुत्र निरंजन सिंह से प्राप्त भूमि 0.083 हैक्टर इस प्रकार से वादी संख्या 3 व वादी संख्या 4 के नाम कुल 6.394 हैक्टर नहरी भूमि प्राप्त हुयी है, जिसका कब्जा वादी संख्या 3 महेन्द्र सिंह व वादी संख्या 4 जसवीर सिंह को संयुक्त रूप से चक 3 आर के खाता संख्या 90/80 में मुरब्बा नं0 51 के किला नं0 6 से 25 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर नहरी कुल 5.060 हैक्टर व चक 3 आर के खाता संख्या 89/79 के मुरब्बा नं0 52 के किला नं0 13/2 में 0.031 हैक्टर, किला नं0 21 से 25 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर रकबा 1.265 हैक्टर तथा चक 3 आर के खाता संख्या 56/45 में मुरब्बा नं0 48 के किला नं0 23 में 0.038 हैक्टर कुल 6.394 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्राप्त हुयी। मोकम सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह वादी संख्या 5 के नाम दर्ज कृषि भूमि :-चक 3 आर के खाता संख्या 56/45 में 2.372 हैक्टर। चक 3 आर के खाता संख्या 123/13 में 0.308 हैक्टर। चक 3 आर के खाता संख्या 124/58 में 1.265 हैक्टर। कुल रकबा 3.945 हैक्टर नहरी भूमि मय खाला। हरजिन्द्र सिंह पुत्र निरंजन सिंह से प्राप्त भूमि 0.006 हैक्टर जगजीत सिंह पुत्र मोहकम सिंह से प्राप्त भूमि 0.032 हैक्टर इस प्रकार से वादी संख्या 5 के नाम कुल 3.983 हैक्टर नहरी भूमि प्राप्त हुयी है, जिसका कब्जा वादी संख्या 5 मोकम सिंह को चक 3 आर के खाता संख्या 56/45 में मुरब्बा नं0 48 के किला नं0 3 के 0.152 हैक्टर, किला नं0 8 के 0.152 हैक्टर, किला नं0 18 के 0.152 हैक्टर, किला नं0 13 के 0.109 हैक्टर, किला नं0 24 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 25 के 0.253 हैक्टर कुल 1.071 हैक्टर व चक 3 आर के खाता संख्या 24/23 के मुरब्बा नं0 52 के किला नं0 1 से 5 प्रत्येक के 0.253 हैक्टर, किला नं0 6 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 7 के 0.253 हैक्टर, किला नं0 8 के 0.091 हैक्टर, चक 3 आर के खाता संख्या 56/45 में मुरब्बा नं0 48 के किला नं0 23 में 0.038 हैक्टर व चक 14 एच के खाता संख्या 47/1 में अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त खाता में 1.012 हैक्टर कुल 3.983 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्राप्त हुयी। उक्त पारिवारिक बंटवारानामा से भी पक्षकारान अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक व निरंतर काबिज अभिय चले आ रहे है, लेकिन वादीगण ने प्रतिवादीगण का पारिवारिक बंटवारा के अनुसार राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि अपने नाम दर्ज नहीं होने के कारण, वादीगण प्रतिवादीगण को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि, हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपनी काश्त मुताबिक भूमि अपने नाम घोषित करवाना चाहते है तथा वादीगण काश्त मुताबिक ही कृषि भूमि का राजस्व लगान अपने-अपने नाम कायम करवाना चाहते है। वादीगण ने आज से 10 रोज पूर्व समस्त प्रतिवादीगण से मिलकर, पारिवारिक बंटवारा के अनुसार भूमि अपने अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आग्रह किया गया तो उनके द्वारा घरेलू व्यस्तता होने के कारण असमर्थता जाहिर कर, ऐसा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प वादीगण के पास शेष नही रहा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किये जाने के आदेश प्रदान करें।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। सामिल मिसल किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 3 आर, पटवार हल्का मोहलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 24/23 के मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा नम्बर 47, 48, 53/42 की कुल 9.488 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 90/80 के मुरब्बा नम्बर 51, 53/45 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 123/13 के मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 1.095 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 124/58 के मुरब्बा नम्बर 49, 53/44 की कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 89/79 के मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्सा में आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहें। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

:-आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 14 एच के खाता संख्या 47/01 में अमरजीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह के नाम दर्ज 1.056 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 5 मोकम सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह को 1.012 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर चक 3 आर, पटवार हल्का मोहलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 24/23 के मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा नम्बर 47, 48, 53/42 की कुल 9.488 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 90/80 के मुरब्बा नम्बर 51, 53/45 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 123/13 के मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 1.095 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 124/58 के मुरब्बा नम्बर 49, 53/44 की कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 89/79 के मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान		
जगमेल सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्री करनपुर (2.711 हैक्टेयर )	3 आर	47	1 ता 25 23	6.325 हैक्टेयर	नहरी	55.0		
		48		0.038 हैक्टेयर	नहरी	3.30		
अमरजीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्री करनपुर (3.652 हैक्टेयर )	3 आर	51	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.98		
			2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.98		
			3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.98		
			4	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.98		
			5	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.97		
		53/45	0.126 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00			
		52	0.164 हैक्टेयर	नहरी	1.43			
		9,10	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.40			
		हरजिन्द्र सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर (5.888 हैक्टेयर )	3 आर	49	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.98
					2 ता 9	2.024 हैक्टेयर	नहरी	17.60
10	0.228 हैक्टेयर				नहरी	1.98		
53/44	0.050 हैक्टेयर			गै.मु.खा.	0.00			
48	1			0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.98		
	2			0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.98		
	3			0.101 हैक्टेयर	नहरी	0.88		
	9 ता 12			1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.80		
	19 ता 22			1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.80		
	8			0.101 हैक्टेयर	नहरी	0.88		
	13			0.101 हैक्टेयर	नहरी	0.88		
	18			0.101 हैक्टेयर	नहरी	0.88		
	23			0.139 हैक्टेयर	नहरी	1.21		
	52	13/2	0.032 हैक्टेयर	नहरी	0.28			
20	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.20					
0.050 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00						
जसवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्री करनपुर (2.495 हैक्टेयर)	3 आर	48	23	0.038 हैक्टेयर	नहरी	0.33		
		51	6 ता 25	5.060 हैक्टेयर	नहरी	44.0		
		52	13/2	0.031 हैक्टेयर	नहरी	0.27		
		महेन्द्र सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्री करनपुर (3.899 हैक्टेयर)	21 ता 25	1.265 हैक्टेयर	नहरी	11.0		
मोहकम सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्री करनपुर (3.899 हैक्टेयर)	3 आर	48	3	0.152 हैक्टेयर	नहरी	1.32		
			8	0.152 हैक्टेयर	नहरी	1.32		
			13/2	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.22		
			13/4	0.083 हैक्टेयर	नहरी	0.72		
			18	0.152 हैक्टेयर	नहरी	1.32		
			23	0.038 हैक्टेयर	नहरी	0.33		
			24	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.20		
			25	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.20		
			52	1 ता 7	1.771 हैक्टेयर	नहरी	15.40	
			8	0.089 हैक्टेयर	नहरी	0.77		

उक्त प्रकरण में राजस्व हानि की गणना करते हुए राशि राजकोष में जमा करवाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव

उपस्यण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

यथ नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा  
बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर  
बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 14.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर



# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जगमेल सिंह आदि बनाम हरजिन्द्र सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 44/2023

निर्णय दिनांक :- 14.03.2024

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कर्तई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 14 एच के खाता संख्या 47/01 में अमरजीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह के नाम दर्ज 1.056 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 5 मोकम सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह को 1.012 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर चक 3 आर, पटवार हल्का मोहलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 24/23 के मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 56/45 के मुरब्बा नम्बर 47, 48, 53/42 की कुल 9.488 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 90/80 के मुरब्बा नम्बर 51, 53/45 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 123/13 के मुरब्बा नम्बर 48 की कुल 1.095 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 124/58 के मुरब्बा नम्बर 49, 53/44 की कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 89/79 के मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्लिद्यत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकवा	किस्म	लगान
जगमेल सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्री करनपुर (2.711 हैक्टेयर ) अमरजीत सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्री करनपुर (3.652 हैक्टेयर )	3 आर	47 48	1 ता 25 23	6.325 हैक्टेयर	नहरी	55.0
				0.038 हैक्टेयर	नहरी	3.30
जसमहेन्द्र सिंह पुत्र मोहकम सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर (1.935 हैक्टेयर )	3 आर	51	1 2 3 4 5 53/45 52	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.98
				0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.98
				0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.98
				0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.98
				0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.97
				0.126 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
				0.164 हैक्टेयर	नहरी	1.43
हरजिन्द्र सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर (5.888 हैक्टेयर )	3 आर	49	9,10 1 2 ता 9 10 48 1 2 3 9 ता 12 19 ता 22 8 13 18 23 52 13/2 20	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.40
				0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.98
				2.024 हैक्टेयर	नहरी	17.60
				0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.98
				0.050 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
				0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.98
				0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.98
				0.101 हैक्टेयर	नहरी	0.88
				1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.80
				1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.80
				0.101 हैक्टेयर	नहरी	0.88
				0.101 हैक्टेयर	नहरी	0.88
				0.101 हैक्टेयर	नहरी	0.88
				0.139 हैक्टेयर	नहरी	1.21
0.032 हैक्टेयर	नहरी	0.28				
0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.20				



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

जसवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्री करनपुर(2.495 हैक्टेयर) महेन्द्र सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाकलां तहसील श्री करनपुर(3.899 हैक्टेयर)	3 आर	48		0.050 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
		51	23	0.038 हैक्टेयर	नहरी	0.33
		52	6 ता 25	5.060 हैक्टेयर	नहरी	44.0
			13/2	0.031 हैक्टेयर	नहरी	0.27
			21 ता 25	1.265 हैक्टेयर	नहरी	11.0
मोहकम सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्री करनपुर (3.899 हैक्टेयर)	3 आर	48	3	0.152 हैक्टेयर	नहरी	1.32
			8	0.152 हैक्टेयर	नहरी	1.32
			13/2	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.22
			13/4	0.083 हैक्टेयर	नहरी	0.72
			18	0.152 हैक्टेयर	नहरी	1.32
			23	0.038 हैक्टेयर	नहरी	0.33
			24	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.20
			25	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.20
		52	1 ता 7	1.771 हैक्टेयर	नहरी	15.40
			8	0.089 हैक्टेयर	नहरी	0.77

उक्त प्रकरण में राजस्व हानि की गणना करते हुए राशि राजकोष में जमा करवाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 19.03.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीवावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	500	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	504	00	योग	04	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

दिनांक: 19.03.2024

क्रमांक: रीडर/ 2024/94

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

